(47)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा म0प्र0।

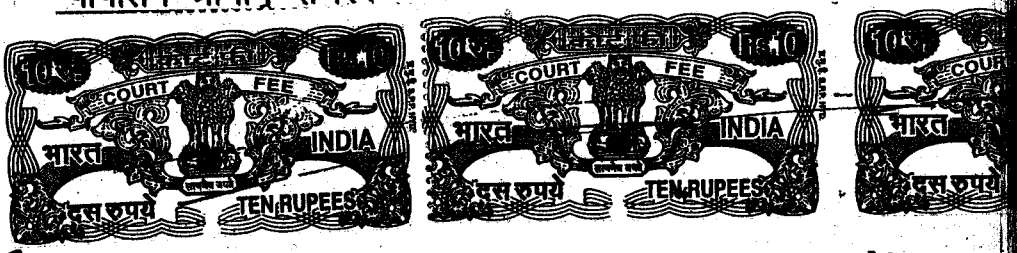

R 5324-II/16

रजनीश कुमार तिवारी तनय नीलकण्ठ तिवारी नि0 ग्राम आमा नौढिया तह0 ...

म0प्र0 ....

बनाम

संतशरण ~~तिवारी~~ द्विवेदी तनय राशिरमण द्विवेदी नि0ग्राम आमा नौढिया तह0 सिरमौर ...

....

अधिवक्ता श्री विद्याधर शर्मा द्वारा पेश किया गया। 18-7-16

निगरानी श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय ...
अपील प्र0क्र0 555/अपी./14-15 में ...
12/4/16 गरीबी रेखा संबंधी जांच कार्य ...

अन्तर्गत जनसमस्या निवारण अधिनियम

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

1. यह कि मान.अधी.न्याया.द्वारा पारित निर्णय विधि एवं प्रक्रिया एवं ... निगरानीकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन पर विधिवत् जांच न करके निर्णय पारित ... अपर कमिश्नर रीवा द्वारा निर्णय पारित करने में वैधानिक भूल किये हैं ... दिनांक 12/4/16 काबिल निरस्तगी के है।
2. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता ने तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा ... 341अ74/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30/7/13 के आदेश के विरूद्ध ... तह0 सिरमौर के प्रकरण क्र0 139अ 74/अपी./14-15 में पारित आदेश दि... को मान.अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने विचार कर उसका निष्कर्ष निका...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5172—दो/2017 R-5324-II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
2-5-2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 12—4—2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनावेदक संतशरण का नाम बी.पी.एल. सूची से काटे जाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12—4—2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी की गई है। इस प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत निगरानी का भी अवसर होने का आदेश दिया है। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी.पी.एल. सूची से काटे जाने अथवा जोडने संबंधी मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिथितियों में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य